5/5/26 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान तलबी पर बहस सुनी गई। दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश उद्घोषित किया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

हनुमन्तसिंह पुत्र भगवंतसिंह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी हनगर तहसील जिला करौली हाल निवासी पांचना वडा पुल के पास करौली

—वादी

बनाम

1. चौरजीसिंह पुत्र रामपाल
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामपाल
3. शैलेन्द्रसिंह उर्फ सोनू पुत्र नेपालसिंह
4. बलवीरसिंह पुत्र भरत
5. कैलाशसिंह पुत्र भौरूसिंह
6. गणेशसिंह
7. नरेशसिंह
8. दिनेशसिंह
9. महेन्द्रसिंह
10. भल्लूसिंह
11. गोल्डनसिंह

पिसरान रघुनाथसिंह

12. रघुवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासी हरनगर तहसील व जिला करौली
13. तहसीलदार करौली लैण्ड हॉल्डर

—प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 1/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी श्री ललित शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूवरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंवर 266/2 रकवा 1.5302 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर वादीगण के हिस्से खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंवर 1 का 1/3, वादी नंवर 2 का 1/2 हिस्सा एवं वादी नंवर 3 का 1/6 हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंवर 266/1 रकवा 0.5312 है0, खसरा नंवर 265 रकवा 0.2909 है0 एवं खसरा नंवर 267 रकवा 0.70822 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.5303 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर प्रतिवादी नंवर 1 की हिस्से खातेदारी में रहेगा। वंटवारा स्कीम मय नक्शा अंतिम डिक्री व निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी नंवर 2 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंवर 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी में अमल करें। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निज ..... मुबलिग ..... वाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 5/12/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–1/23 तारीख रजु:–23.1.23

उनवान

हनुमन्तसिंह पुत्र भगवंतसिंह आयु 60 साल जाति राजपूत निवासी हनगर तहसील जिला करौली हाल निवासी पांचना बडा पुल के पास करौली

–वादी

बनाम

1. चौरजीसिंह पुत्र रामपाल
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र रामपाल
3. शैलेन्द्रसिंह उर्फ सोनू पुत्र नेपालसिंह
4. बलवीरसिंह पुत्र भरत
5. कैलाशसिंह पुत्र भौरूसिंह
6. गणेशसिंह
7. नरेशसिंह
8. दिनेशसिंह
9. महेन्द्रसिंह
10. भल्लूसिंह
11. गोल्डनसिंह

पिसरान रघुनाथसिंह

12. रघुवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासी हरनगर तहसील व जिला करौली
13. तहसीलदार करौली लैण्ड हॉल्डर

–प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 5/5/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नंबर 355/1772 रकबा 0.0100 गैरमुमकिन चाह, खसरा नंबर 367 रकबा 1.0000 चाही–1, खसरा नंबर 368 रकबा 0.0400 बंजड–1, खसरा नंबर 374 रकबा 0.0500 गै.मु.चाह, खसरा नंबर 599 रकबा 0.0300 गै.मु.चाह कुल खसरा नंबर 5 कुल किता 1 बीघा 13 बिस्वा वांके ग्राम हरनगर तहसील करौली में स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा अन्य प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

व कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमें खातेदार रामपाल फौत हो चुका है। उसके प्रतिवादी नंबर 1 व 2 वारिस है तथा खातेदार नेपालसिंह फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी नंबर 3 शैलेन्द्रसिंह है तथा मुनिया खातेदार फौत हो चुकी है उसके वारिस प्रतिवादी नंबर 1 व 2 है। जिनका 1/4 हिस्सा है तथा खातेदार रघुनाथ सिंह फौत हो चुका है उसके वारिस प्रतिवादी नंबर 6 लगायत 11 है। खातेदार मलखानसिंह फौत हो चुके है। उसके वारिस कैलाशसिंह व रघुनाथसिंह के लडके है तथा भगवानसिंह खातेदार फौत हो चुका है। उसका वारिस प्रतिवादी नंबर 12 रघुवीरसिंह है। राजबहादुरसिंह खातेदार फौत हो चुके है जो लाऔलाद फौत हुए है उनका कोई वारिस नहीं है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 12 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है और काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण में काश्त करने में आपस में विवाद पैदा होता है लगान अदा करने में विवाद पैदा होता है। वादी आंखों से अन्धा है। प्रतिवादीगण मनमानी करते है। आदमी वाले लाठी वाले पैसे वाले है। राज व कानून ने निडर है। वादी की काश्त में रूकावट डालते है। इसलिए वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अपना 1/4 हिस्सा का खाता अलग कराकर अलग लगान कायम कराना चाहता है। इसलिए यह दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है तथा कब्जे काश्त में रूकावट डालने के कारण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वादी पाबंद कराने का प्रतिवादीगण को मुश्तहक है। विनाय मुखास्मत दिनांक 31.12.2022 को वादी द्वारा उक्त आराजी का बंटवारा कराने वा अलग खातेदारी कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर वा प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

उक्त दावा वाद सुनवाई दिनांक 23.12.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार करौली से बंटवारा स्कीम तलब की गई। बंटवारा स्कीम दिनांक 20.04.2026 को प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2026 को शामिल पत्रावली की गई। बंटवारा स्कीम पर वकील

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष द्वारा बंटवारा स्कीम पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 266/2 रकबा 1.5302 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर वादीगण के हिस्से खातेदारी में रहेगी। जिसमें वादी नंबर 1 का 1/3, वादी नंबर 2 का 1/2 हिस्सा एवं वादी नंबर 3 का 1/6 हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 266/1 रकबा 0.5312 है0, खसरा नंबर 265 रकबा 0.2909 है0 एवं खसरा नंबर 267 रकबा 0.70822 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5303 है0 ग्राम खूडा पटवार हल्का खूडा तहसील मासलपुर प्रतिवादी नंबर 1 की हिस्से खातेदारी में रहेगा। बंटवारा स्कीम मय नक्शा अंतिम डिक्री व निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी नंबर 2 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल करें। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 5/12/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
कौलीसौली।